5A राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिशें

भारतीय संविधान द्वारा समाज के सभी वर्गों के लोगों को उनकी जाति, वंश, धर्म, वर्ण और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना न्याय और समानता की गारंटी दी गई है। महिलाओं के हितों की रक्षा करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा अनेक कानून बनाए गए हैं तथा मौजूदा नियमों में संशोधन भी किए गए हैं ताकि महिलाओं के विरुद्ध अत्याचारों से निपटा जा सके। इन उपायों के बावजूद, महिलाओं के साथ अपराध जैसेकि दहेज हत्या, तेज़ाब से हमले, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, बलात्कार, घरेलू हिंसा आदि अभी भी जारी हैं। महिलाओं के अधिकारों को प्रोत्साहन और संरक्षण प्रदान करने की दिशा में आयोग को प्रदत्त मूल अधिदेश का निर्वहन करते हुए आयोग द्वारा वर्ष 2008–09 के दौरान कानूनी पहलुओं के संबंध में सरकार के क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित सिफारिशें की गई हैं। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय महिला आयोग ने इसी वर्ष के दौरान महिलाओं से संबंधित विभिन्न विषयों पर अनुसंधान अध्ययनों को भी प्रायोजित किया है । इन अध्ययनों से प्राप्त हुई सिफारिशों का केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वयन हेतु नीचे उल्लेख किया गया है:

वर्ष 2008–09 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग के विधि प्रकोष्ठ द्वारा की गई सिफारिशें:

1) महिलाओं की घरेलू हिंसा से संरक्षा अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन की समीक्षा

सिफारिशें

चूंकि महिलाओं की घरेलू हिंसा से संरक्षा अधिनियम को अधिनियमित किया जा चुका है, अतः यह सुनिश्चित किया जाना है कि इस कानून का उचित और प्रभावी रूप में क्रियान्वयन हो। महिलाओं को इस कानून के उपबंधों के बारे में जागरूक बनाने की आवश्यकता है ताकि वे अपने हित में इस कानून का उपयोग कर सकें। इस दिशा में आयोग के विधि प्रकोष्ठ द्वारा निम्नलिखित सिफारिशें की गई हैं:

संरक्षण अधिकारी

(i) पूर्णकालिक संरक्षण अधिकारी नियुक्त किए जाने की आवश्यकता है। दिल्ली और हरियाणा की तर्ज पर संविदा आधार पर नियुक्ति किए जाने पर विचार किया जा सकता है।

(ii) महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु एक सहायक व्यवस्था स्थापित की जाए, जिसमें विशेष संरक्षण अधिकारी और उनकी सहायता के लिए पर्याप्त कर्मचारियों को नियुक्त किया जाए ताकि पीड़ित महिलाओं को शीघ्र न्याय उपलब्ध हो सके।

(iii) संरक्षण अधिकारियों के रूप में कार्य करने के लिए गैर–सरकारी संगठनों की भूमिका पर भी विचार किया जा सकता है, जिसके लिए उन्हें मानदेय दिया जाए बशर्ते कि उनके पास कार्यालय, परिवहन व्यवस्था, कर्मचारी आदि जैसी न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों।

(iv) संरक्षण अधिकारियों की संख्या इतनी पर्याप्त हो कि वे तालुका/ ब्लॉक स्तर पर पहुंच सकें तथा प्रत्येक पंचायत में एक महिला न्याय समिति गठित करने पर भी विचार किया जा सकता है।

(v) आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा अपनाई गई घरेलू घटना रिपोर्ट (डी आई आर) सूचकांक मॉडल को इस निर्देश के साथ सभी राज्यों को परिचालित किया जाए कि इस मॉडल को उन राज्यों द्वारा अपनाया

जाए। संरक्षण अधिकारी को घरेलू घटना रिपोर्ट (डी आई आर) के रखरखाव हेतु प्रभारी नियुक्त किया जाए तथा संरक्षण अधिकारी द्वारा समन आदि जारी करने से संबंधित रिकार्ड को दर्ज किए जाने वाले सेवा रजिस्टर में प्रविष्टि करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाए।

(vi) पुलिस/महिला एवं बाल विकास विभाग/ संरक्षण अधिकारी/ पुलिस अधीक्षक के बीच भूमिका सुनिश्चित और स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता है और इस संबंध में व्यापक प्रचार किया जाए।

सेवा प्रदाता

(i) अधिनियम के नियम 11 के अनुसार सेवा प्रदाता के संबंध में अधिसूचना जारी करना आवश्यक है। सेवा प्रदाताओं की उपयुक्तता के संबंध में विधिवत सत्यापन किए जाने के पश्चात उनका पंजीकरण अवश्य किया जाए तथा उनके फोन नंबरों और पतों को निश्चित रूप से प्रकाशित किया जाए और उपलब्ध कराया जाए।

(ii) धारा 10 के तहत अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सेवा प्रदाता को डी आई आर रिकार्ड करने और उसे मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करने की शक्ति प्राप्त है।

(iii) यह उपबंध ऐसे गैर–सरकारी संगठनों और अन्य संगठनों जिन्होंने अधिनियम के अंतर्गत अपना पंजीकरण भी कराया है या जिनका संबंधित प्राधिकारियों द्वारा पंजीकरण नहीं किया गया है, के लिए अवरोधक है और उन्हें प्रथम दृष्टया आधार पर महिलाओं की सहायता करने से रोकता है। दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को ये सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है।

(iv) सरकार द्वारा विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में मानचित्र संबंधी सूचनाएं तथा सरकार द्वारा सहायता प्राप्त सेवाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है।

(v) परामर्शदाताओं के लिए मानदेय का प्रावधान

(vi) ऐसे सेवा प्रदाताओं का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए जो अपना पंजीकरण करा पाने में विफल रहते हैं और पीड़ित व्यक्ति को सेवाएं प्रदान नहीं कर पाते हैं।

आश्रय गृह एवं चिकित्सीय सुविधाएं

(i) राज्य, जिला और ब्लॉक स्तरों पर उपलब्ध सुविधाओं को अधिसूचित करने की आवश्यकता।

प्रशिक्षण, अभिमुखीकरण एवं प्रसार :

(i) महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम के क्रियान्वयन में शामिल स्टेकहोल्डरों के लिए प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम तथा संरक्षण अधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों, पुलिस एवं न्यायपालिका के लिए अलग से प्रशिक्षण मैनुअल विकसित किए जाने की आवश्यकता है।

(ii) हिंसा के शिकार व्यक्तियों की सहायता के लिए अन्य प्रमुख घटकों, जैसेकि ग्राम पंचायतों और समाज न्याय समितियों, स्वयं सेवा समूहों और परिसंघों, आंगनवाड़ी कर्मचारियों आदि के लिए अभिमुखीकरण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने की आवश्यकता है।

(iii) प्रिंट, इलेक्ट्रानिक मीडिया और अन्य प्रचार माध्यमों के जरिए मीडिया अभियानों को चलाकर कानून के संबंध में जागरूकता पैदा करना।

(iv) अधिनियम का सभी क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करना ताकि इसका आसानी से प्रचार–प्रसार किया जा सके तथा लोग इसे समझ सकें।

केंद्रीय एवं राज्य सरकारें

(i) बहु–एजेंसी अनुक्रिया सृजित करना : घरेलू हिंसा का सामना कर रही महिलाओं को मदद पहुंचाने के

लिए संरक्षण अधिकारियों, पुलिस, विधि सेवा प्राधिकारियों, सेवा प्रदाताओं, परामर्शदाताओं आदि के बीच एक बहु–एजेंसी अनुक्रिया सृजित किए जाने की आवश्यकता है। इस अनुक्रिया के लिए सरकार के विभिन्न विभागों के बीच तालमेल तथा सिविल समाज के संगठनों के बीच भागीदारी की आवश्यकता है।

(ii) अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु बजट का पर्याप्त आबंटन।

(iii) परिवार न्यायालयों/फास्ट ट्रैक न्यायालयों को प्रबल/सशक्त बनाना – ऐसे न्यायालयों द्वारा सभी मामलों पर निर्णय किया जाना है।

(iv) आश्रय गृहों की संख्या में वृद्धि करना – इसके लिए आउटसोर्स किया जा सकता है तथा कारपोरेट क्षेत्रों से अंशदान प्राप्त करके निजी क्षेत्रों की भागीदारी प्राप्त की जा सकती है, जिसके लिए कर में रियायतें प्रदान की जा सकती हैं।

(v) पारिवारिक विवादों के समाधान और उनमें मध्यस्थता के लिए महिला आयोगों द्वारा निभाई जा रही भूमिका को मान्यता प्रदान करने की आवश्यकता।

एकल खिड़की निष्पादन/ भूमिका की स्पष्टता

- दहेज प्रतिषेध अधिनियम, आईपीसी की धारा 498क, घरेलू हिंसा अधिनियम इन अर्थों में अति व्याप्त होते हैं कि वे सभी वैवाहिक संबंधों में असमन्वय और हिंसा के विभिन्न पहलुओं से संबंधित हैं।
- राज्य सरकारों ने इन अधिनियमों के क्रियान्वयन में अलग–अलग ढंग से अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं – कुछ राज्यों में पुलिस/समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों आदि को दहेज प्रतिषेध अधिकारियों/संरक्षण अधिकारियों के रूप में कार्य करने के लिए अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
- इस प्रणाली के कारण कार्यवाहियों की बहुलता उत्पन्न होती है।
- सीआरएल सीपीडब्ल्यूपी संख्या 539/86 – डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल सरकार के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 18.12.1996 के निर्णय में दिया गया आदेश :

  बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति का प्रयोग शिकायत की उपयुक्तता और यथार्थता के संबंध में कुछ जांच किए जाने के पश्चात केवल इस बात का उपयुक्त रूप में समाधान हो जाने के पश्चात तथा यह विश्वास हो जाने के पश्चात कि गिरफ्तारी करना दोनों व्यक्तियों के लिए अनिवार्य और आवश्यक है, किया जाए।

- अनेक राज्यों में पुलिस अब परामर्श और समझौता कराने का सहारा ले रही है तथा आईपीसी की धारा 498क के अंतर्गत तत्काल कार्रवाई नहीं कर रही है। इस दिशा में आंध्र प्रदेश के मॉडल को अपनाकर घरेलू हिंसा अधिनियम तथा आईपीसी की धारा 498क का उपयुक्त रूप में समावेश करके पर्याप्त उपलब्धि प्राप्त की जा सकती है।
- आईपीसी की धारा 498क के अंतर्गत शिकायत प्राप्त होने पर भी परामर्श और समझौता कराने की प्रवृत्ति अपनाई जाती है न कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने और संबंधित व्यक्तियों को आरोपित करके उन्हें गिरफ्तार करने की, क्योंकि इस संबंध में उपबंध संज्ञेय और गैर–जमानती है।
- ऐसी स्थिति में आंध्र प्रदेश मॉडल से उपयोगी लाभ प्राप्त हो सकता है।
- यह पुलिस और संरक्षण अधिकारी के बीच भूमिका की स्पष्टता भी सुनिश्चित करता है तथा एजेंसियों के बीच उचित समन्वय भी सुनिश्चित करता है।

❑ आयोग की यह प्रबल राय है कि परामर्श का कार्य पुलिस द्वारा न किया जाए बल्कि इसके लिए व्यावसायिक परामर्शदाताओं या घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत अभिनिर्धारित किसी अन्य प्राधिकारी की सेवाएं ली जाएं तथा उसके पश्चात उपयुक्त कार्रवाई की जाए।

महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन

(i) घरेलू घटना रिपोर्ट (डी आई आर) को कौन लिख सकता है और मजिस्ट्रेट को अग्रेषित कर सकता है। धारा 9ख के अंतर्गत संरक्षण अधिकारी का यह कर्त्तव्य है कि वह घरेलू घटना रिपोर्ट तैयार करे और उसे मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करे, धारा 10(2)(ख) के अंतर्गत सेवा प्रदाता घरेलू घटना रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं और उसे मजिस्ट्रेट को अग्रेषित कर सकते हैं। नियम 5 के अंतर्गत, केवल संरक्षण अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ही डी आई आर लिखने के लिए प्राधिकृत हैं।

ये उपबंध अत्यधिक अवरोधक प्रकृति के हैं और ये महिला आयोगों तथा महिलाओं से संबंधित विवादों के समाधान में सक्रिय रूप से जुटे अन्य संघों की भूमिका को कम करते हैं। यह सत्य है कि ये संगठन अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत आवेदन दायर कर सकते हैं किंतु धारा 12 का परंतुक इन संगठनों द्वारा की जाने वाली ऐसी किसी भी भूमिका को कम करता है। क्योंकि ऐसी कोई भी कार्रवाई संरक्षण अधिकारी/ पुलिस अधीक्षक से प्राप्त डी आई आर पर निर्भर करती है, यहां तक कि पुलिस रिपोर्ट भी संरक्षण अधिकरी/ पुलिस अधीक्षक द्वारा दायर या दायर की जाने वाली डी आई पर निर्भर करेगी। **अतः इस अवरोधक उपबंध को संशोधित किए जाने की आवश्यकता है तथा महिलाओं के हितों के लिए कार्य करने वाले या मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए कार्य करने वाले किसी भी सांविधिक निकाय या पुलिस या किसी भी अन्य गैर–सरकारी संगठनों को ऐसी रिपोर्ट दायर करने के लिए प्राधिकृत किया जाए, जिसे महिलाओं की घरेलू हिंसा से संरक्षा अधिनियम के अंतर्गत डी आई आर समझा जाएगा, स्थानीय तौर पर उपलब्ध स्कूल या महाविद्यालयों के शिक्षकों को भी प्राधिकृत करने पर विचार किया जा सकता है।**

(ii) **"साझा घर"** की परिभाषा : एस आर बतरा बनाम तरुणा बतरा के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है :

"साझा घर" का आशय ऐसे घर से है, जिसमें पीड़ित व्यक्ति रहता है या किसी भी चरण पर एक घरेलू संबंध के रूप में रहा था ..... इस तथ्य पर विचार किए बिना कि प्रतिवादी या पीड़ित व्यक्ति का साझे घर पर कोई अधिकार, मालिकाना हक या हित हो अथवा नहीं।

इस संबंध में महिलाओं की घरेलू हिंसा से संरक्षा अधिनियम में यह स्पष्टतः उल्लेख किया गया है कि साझे घर का स्वामित्व साझे घर में रहने के अधिकार से संबंधित नहीं है {(धारा 17 (1)}। न्यायालय ने यह उल्लेख किया है कि मांगी गई राहत प्रदान नहीं की जा सकती क्योंकि प्रश्नाधीन परिसर संयुक्त परिवार की संपत्ति नहीं है और इसलिए इसे "साझा घर" नहीं कहा जा सकता। यह भी धारा 17(1) के स्पष्ट उपबंध के विरुद्ध है।

ऐसी व्याख्या से महिलाओं द्वारा अनिवासी भारतीयों से विवाह के संबंध में दायर किए गए आवेदनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना सुनिश्चित है, जिनमें पति अपनी पत्नी को अपने माता–पिता के घर में लेकर आता है, वहां कुछ महीनों तक रहता है और तब विदेश चला जाता है। पत्नी उस मकान में, जो

संभवतः उसके सास–ससुर द्वारा स्वतः अर्जित संपत्ति है, रहना जारी रखती है। बतरा के मामले में दिए गए निर्णय की व्याख्या से न्यायालयों के लिए स्वतः रूप में यह कहना आवश्यक हो जाएगा कि चूंकि इसे "साझा घर" नहीं माना जा सकता, अतः पत्नी को ऐसे मकान में रहने का कोई हक नहीं है, चाहे उसका पति उसके लिए वीज़ा या नये घर में आवास की व्यवस्था करे या न करे। क्या इनसे अधिनियम का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाता है – जो महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने से संबंधित है, क्योंकि इस प्रकार के मामले में लिए गए निर्णय से यही तथ्य सामने आता है।

अतः परिभाषा खंड 2 (एस) में संशोधन की आवश्यकता है तथा यह सुझाव दिया जाता है कि अधिनियम के संबंधित उपबंध को निम्नानुसार उपयुक्त रूप में संशोधित किया जाए:

मौजूदा उपबंध	**प्रस्तावित संशोधन**
"साझा घर" का आशय एक ऐसे घर से है, जहां पीड़ित व्यक्ति **रहता है** या किसी भी समय घरेलू संबंध के रूप में अकेले या प्रतिवादी के साथ **रहा हो**।	धारा 2(ध) "साझा घर" का आशय एक ऐसे घर से है, जहां पीड़ित व्यक्ति निवास करता है या किसी भी समय घरेलू संबंध के रूप में एक पर्याप्त अवधि तक (तीन वर्ष या अधिक) अकेले या प्रतिवादी के साथ रहा हो।
(इसमें ऐसा घर भी शामिल है, जिस पर पीड़ित व्यक्ति और प्रतिवादी का या तो संयुक्त रूप में स्वामित्व हो या किराये पर लिया गया हो, उनमें से किसी भी एक व्यक्ति का स्वामित्व हो या किराये पर लिया गया हो, जिसके संबंध में पीड़ित व्यक्ति या प्रतिवादी या दोनों का संयुक्त रूप में या एकल रूप में कोई हक, मालिकाना हक, हित या इक्विटी हो तथा जिसमें ऐसा घर शामिल हो, जो उस संयुक्त परिवार का हो, जिसका प्रतिवादी एक सदस्य है।) इस बात पर विचार किए बिना कि प्रतिवादी या पीड़ित व्यक्ति का "साझे घर" पर कोई अधिकार, मालिकाना हक या रुचि है अथवा नहीं।	(इसमें ऐसा घर भी शामिल है, जिस पर पीड़ित व्यक्ति और प्रतिवादी का या तो संयुक्त रूप में स्वामित्व हो या किराये पर लिया गया हो, उनमें से किसी भी एक व्यक्ति का स्वामित्व हो या किराये पर लिया गया हो, जिसके संबंध में पीड़ित व्यक्ति या प्रतिवादी या दोनों का संयुक्त रूप में या एकल रूप में कोई हक, मालिकाना हक, हित या इक्विटी हो तथा जिसमें ऐसा घर शामिल हो, जो उस संयुक्त परिवार का हो, जिसका प्रतिवादी एक सदस्य है।) इस बात पर विचार किए बिना कि प्रतिवादी या पीड़ित व्यक्ति का "साझे घर" पर कोई अधिकार, मालिकाना हक या रुचि है अथवा नहीं।

(iii) यह कानून संरक्षण अधिकारी द्वारा दी गई रिपोर्ट के साक्ष्यात्मक महत्त्व या उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के संबंध में भी मूक है। संरक्षण अधिकारी की रिपोर्ट का कोई साक्ष्यात्मक महत्त्व नहीं है। संरक्षण अधिकारी को बाद में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए न्यायालयों द्वारा बार–बार उपस्थित होने के लिए कहा जा सकता है, जिसके कारण उनकी कार्य प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

(iv) अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत, मजिस्ट्रेट के आदेशों पर अपील की जा सकती है, जिसका आशय यह है कि अंतरिम आदेशों के संबंध में भी अपील की जा सकती है। चूंकि प्रत्येक आदेश को अपीलयोग्य

बना दिया गया है, अतः इस संबंध में कोई सीमा नहीं है। इस अधिनियम के अंतर्गत अपील करने और समीक्षा करने का अधिकार संशोधित किया जाना चाहिए तथा अपील केवल अंतिम आदेशों के खिलाफ ही की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 28 में न्यायालय द्वारा धारा 25 और 26 के अंतर्गत दिया गया आदेश अपीलयोग्य हैं, **यदि वे अंतरिम आदेश नहीं हों**।

(v) वैकल्पिक विवाद समाधान महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम के क्रियान्वयन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इससे न्यायालयों पर काम का भारी बोझ काफी हद तक कम हो सकता है।

(vi) धारा 31 में यह उल्लेख किया गया है कि आदेशों का उल्लंघन करना एक अपराध होगा, जिसके लिए एक वर्ष तक के कारावास की सजा दी जा सकती है। इसके साथ ही धारा 31(3) के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को आईपीसी की धारा 498क या देहज अधिनियम के अंतर्गत किए गए किसी भी अपराध के लिए आरोप तय करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। धारा 32 के अंतर्गत किया गया अपराध संज्ञेय और गैर–जमानती है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये बातें परस्पर–विरोधी हैं। आपराधिक कानून के अंतर्गत ऐसा कोई भी अपराध जिसमें एक वर्ष तक के कारावास की सजा का प्रावधान हो, समन मामला कहलाता है। किसी समन मामले पर विचार करने की प्रक्रिया आईपीसी की धारा 498क के अंतर्गत किसी मामले पर विचार किए जाने की प्रक्रिया से पूर्णतः भिन्न है। इसके कारण जटिलताएं उत्पन्न होने की संभावना है। अतः इसे स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता है।

(vii) इसके अंतर्गत, केवल संरक्षण आदेशों का उल्लंघन ही एक अपराध है। यह कानून अन्य आदेशों, जैसेकि आवास से संबंधित आदेशों, अभिरक्षा में लेने से संबंधित आदेशों आदि के उल्लंघन के संबंध में मूक है। अधिनियम की धारा 31 में अन्य आदेशों के उल्लंघन को दंडनीय बनाने के संबंध में संशोधन किए जाने की आवश्यकता है।

(viii) **नियम 3** में यह उल्लेख किया गया है कि संरक्षण अधिकारी की पदावधि न्यूनतम 3 वर्ष होगी – संविदात्मक नियुक्तियों के संबंध में यह एक संभव विकल्प नहीं होगा क्योंकि संविदा आधार पर कर्त्तव्यों के निरंतर निष्पादन की स्थिति में सरकार द्वारा संबंधित पद के नियमितीकरण की आवश्यकता उत्पन्न होगी, जिसके लिए संभवतः सरकार सहमत न हो। किसी सरकारी कार्यपालक को अतिरिक्त कार्यभार सौंपने के संबंध में मौजूदा समय में अपनाया गया विकल्प ही सही उपाय है।

2. तेजाब से हमले की स्थिति में पीड़ित के लिए राहत और पुनर्वास की संशोधित स्कीम

आयोग ने पहले "(तेजाब से हमला) अपराध निवारण विधेयक, 2008" नामक एक विधेयक का प्रारूप तैयार किया था। बाद में यह सुझाव दिया गया कि बलात्कार की पीड़िताओं को राहत और पुनर्वास उपलब्ध कराने के समान ही एक स्कीम लाई जाए और तदनुसार आयोग ने महिलाओं और बालिकाओं के साथ अपराधों (तेजाब से हमले) के संबंध में राहत और पुनर्वास की एक स्कीम तैयार की जो बलात्कार की पीड़िताओं के संबंध में जारी स्कीम के ही समान है। इस स्कीम की मुख्य–मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं:

- इस योजना को राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा संचालित किया जाएगा।
- इस संबंध में जिला और राज्य स्तरों के प्राधिकारी बलात्कार की पीड़िताओं के लिए राहत और पुनर्वास की योजना में सुझाए गए प्राधिकारियों के अनुसार होंगे।

- पीड़िता को इलाज के खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए तत्काल 5,00,000/– रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी, जिसे बाद में अधिकतम 30,00,000/– रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।
- पीड़िता के पुनर्वास हेतु 5,00,000/– रुपए निर्धारित किए गए हैं।

संशोधित स्कीम मंत्रालय को विचारार्थ भेज दी गई है।

3. दहेज प्रतिषेध अधिनियम में संशोधन को अंतिम रूप देना

राष्ट्रीय महिला आयोग ने सितंबर, 2008 में एक परामर्श सत्र आयोजित किया और इस सत्र में शामिल प्रतिनिधिमंडलों और अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए सुझावों का उपयोग करके की गई सिफारिशों के आधार पर दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 में प्रस्तावित संशोधनों को अंतिम रूप दिया गया है। संशोधित सिफारिशें मंत्रालय को विचारार्थ भेज दी गई हैं।

4. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न से संरक्षण विधेयक, 2008 में संशोधन से संबंधित विधेयक

विधेयक का प्रारूप कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से निवारण और समाधान उपलब्ध कराने से संबंधित है। **'किसी भी महिला कर्मचारी के अतिरिक्त पीड़ित महिला की परिभाषा के अंतर्गत कार्य स्थल से संबंधित कोई भी महिला शामिल होगी, जिसमें किसी शैक्षणिक संस्था, विश्वविद्यालय आदि में विद्यार्थी, अनुसंधान अध्येता शामिल हैं।'** इसमें सरकार और निजी क्षेत्र, संगठित और असंगठित क्षेत्रों के अधीन स्थित सभी कार्यस्थल शामिल हैं। विधेयक के प्रारूप की मुख्य–मुख्य बातों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- आंतरिक शिकायत समिति (आई सी सी) का गठन
- जिला अधिकारी की नियुक्ति
- जिला अधिकारी द्वारा स्थानीय शिकायत समिति का गठन
- संगठित और असंगठित क्षेत्र के लिए अलग से प्रावधान
- शिकायत की सामग्री और जांच की प्रक्रिया को प्रकाशित करने या उजागर करने के लिए दंड

संशोधित विधेयक मंत्रालय को विचारार्थ भेज दिया गया है।

5. स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 में संशोधन

अधिनियम के कार्यक्षेत्र और इसकी अनुप्रयोज्यता में विस्तार करने के लिए **"विज्ञापन"** की परिभाषा में इलेक्ट्रानिक मीडिया या किसी अन्य मीडिया को शामिल किया गया है। **प्रतिषेध और दंडों से संबंधित उपबंध** पर एक अलग अध्याय शामिल किया गया है। किसी भी प्रकाशित/ प्रसारित/ टेलीकास्ट की गई सामग्री में महिलाओं को किस प्रकार निरूपित किया जाएगा, इसे शासित और विनियमित करने के लिए एक केंद्रीय प्राधिकारी की नियुक्ति का भी प्रस्ताव किया गया है।

न्यायालय के हस्तक्षेप

राजकुमारी अवस्थी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार – 2008 सी आर आई एल जे 2539

भरण–पोषण के मामले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 (1)(ख) और (ग) में यथानिहित उपबंधों के अनुसार,

यदि कोई व्यक्ति पर्याप्त साधन–संपन्न हो तथा निम्नलिखित के भरण–पोषण के लिए नकारता हो या अस्वीकार करता हो –

(ख) अपने ऐसे वैधानिक या अवैधानिक अवयस्क बच्चे का, जो विवाहित हो अथवा नहीं हो और जो अपना स्वयं का भरण–पोषण करने में सक्षम न हो, या

(ग) अपने ऐसे वैधानिक या अवैधानिक बच्चे (जो विवाहित लड़की न हो), जिसने वयस्कता प्राप्त कर ली हो, तथा ऐसा बच्चा जो शारीरिक अथवा मानसिक अपसामान्यता अथवा क्षति के कारण अपना स्वयं का भरण–पोषण करने में असमर्थ हो।

उप–धारा (ग), जिसमें यह कहा गया है कि " अपने ऐसे वैधानिक या अवैधानिक बच्चे (जो विवाहित लड़की न हो), जिसने वयस्कता प्राप्त कर ली हो, तथा ऐसा बच्चा जो शारीरिक अथवा मानसिक अपसामान्यता अथवा क्षति के कारण अपना स्वयं का भरण–पोषण करने में असमर्थ हो" – यह एक अवरोधक उपबंध है तथा विशेषकर किसी सक्षम बच्चे और ऐसा बच्चा जिसने वयस्कता प्राप्त कर ली हो, विशेषकर बालिका बच्चे के मामले में, कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। पर्याप्त साधन–संपन्न माता–पिता द्वारा भरण–पोषण प्राप्त करने का अधिकार ऐसी सभी अविवाहित लड़कियों को उपलब्ध होना चाहिए, जो वयस्कता की आयु प्राप्त कर लेने पर भी अपना स्वयं का भरण–पोषण करने में असमर्थ हों । इस अधिकार के उपलब्ध होने से बालिका शिशु को किसी भी कठिनाई और अकिंचन की स्थिति से उबारा जा सकता है, जो भरण–पोषण से संबंधित उपबंध का एक मुख्य उद्देश्य है।

राज कुमारी अवस्थी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार – 2008 सी आर आई एल जे 2539 के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की है कि धारा 125 (1)(ग) – उपर्युक्त उपबंध के सामान्य अध्ययन पर, यह स्पष्ट है कि पर्याप्त साधन–संपन्न किसी व्यक्ति के लिए अपनी वयस्क लड़की (अर्थात जब वह 18 वर्ष की आयु पार कर चुकी हो) जो अविवाहित हो, का भरण–पोषण करना तभी आवश्यक है यदि वह लड़की किसी प्रकार की शारीरिक अथवा मानसिक अपसामान्यता या क्षति के कारण अपना स्वयं का भरण–पोषण करने में असमर्थ हो – इसके अतिरिक्त, अन्य किसी भी स्थिति में उसे अपने माता–पिता से भरण–पोषण प्राप्त करने का अधिकार उपलब्ध नहीं है। इस उपबंध के अंतर्गत स्थिति यह है कि 18 वर्ष की आयु की कोई कालेज जाने वाली लड़की, जो अभी अविवाहित है, जब तक वह किसी शारीरिक अथवा मानसिक अपसामान्यता या क्षति के कारण अपना स्वयं का भरण–पोषण करने में असमर्थ न हो, उसे उसके पिता द्वारा जो पर्याप्त साधन संपन्न है, भरण–पोषण उपलब्ध कराने के लिए अस्वीकार किया जा सकता है। किंतु यह अपेक्षा करना कि एक ऐसी अविवाहित लड़की जो अभी कालेज जा रही है या जो घर में रह रही है किंतु जिसका अभी विवाह नहीं हुआ है, और जिसके पास अपना स्वयं का भरण–पोषण करने के लिए स्वतंत्र आय का कोई साधन नहीं है, को उसके पर्याप्त साधन–संपन्न पिता द्वारा केवल इस आधार पर भरण–पोषण उपलब्ध कराने से इनकार किया जा सके कि संहिता की धारा 125(1)(ग) में जैसाकि अपेक्षित है, स्वयं का भरण–पोषण करने में उस लड़की की असमर्थता उसकी किसी शारीरिक अथवा मानसिक अपसामान्यता के कारण नहीं है, अत्यधिक अमानवीय और उत्पीड़क होगा और ऐसा करना सभी प्रकार से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन होगा।

यह उपबंध विशेष रूप से त्रूटिपूर्ण और भेदभावपूर्ण प्रतीत होता है क्योंकि धारा 125(1) के अन्य खंडों, अर्थात खंड (क), (ख) और (घ) में, पर्याप्त साधन–संपन्न किसी व्यक्ति के लिए अपनी पत्नी, अपने वैधानिक या अवैधानिक अवयस्क बच्चों, जो विवाहित हों अथवा न हों या अपने माता–पिता जो अपना स्वयं का भरण–पोषण करने में समर्थ न हों, को भरण–पोषण उपलब्ध कराना अपेक्षित है तथा इन श्रेणियों के व्यक्तियों को यह सिद्ध करने की कोई भी अतिरिक्त आवश्यकता नहीं है कि वे इस सम्मानजनक सामाजिक विधायन का लाभ प्राप्त करने के लिए शारीरिक अथवा मानसिक अपसामान्यता अथवा क्षति के कारण अपना स्वयं का भरण–पोषण करने में असमर्थ हैं। यह उपबंध भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(3) और 39(ड.) और (च) की भावना के भी विरुद्ध प्रतीत होता है जिसमें राज्यों से यह कहा गया है कि वे महिलाओं और बच्चों के कल्याण हेतु तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि बच्चों और

युवाओं का नैतिक और भौतिक दृष्टि से परित्याग करने से संरक्षण प्रदान करने के लिए कानून बनाएं। मामले के इस पहलू को दृष्टिगत रखते हुए, **यह सहमति हुई कि विधायिका द्वारा उप–धारा 125(1)(ग) में संशोधन किया जाए तथा पर्याप्त साधन–संपन्न माता–पिता से भरण–पोषण प्राप्त करने का बच्चों/लड़कियों का अधिकार ऐसी सभी अविवाहित लड़कियों को उपलब्ध कराया जाए जो वयस्कता की आयु प्राप्त करने के बाद भी स्वयं का भरण–पोषण करने में असमर्थ हों।**

इस आदेश की प्रति भारत के विधि आयोग तथा अन्य राज्यों के महिला आयोगों को भी उपयुक्त टिप्पणी हेतु प्रेषित की जाए। आयोग ने माननीय न्यायालय की राय से सहमति व्यक्त करते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक मध्यक्षेप आवेदन दायर किया, जिसमें यह अनुरोध किया गया कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125(1)(ग) भेदभावपूर्ण है और भारत के संविधान का उल्लंघन करती है और इसे भारत के संविधान के विरुद्ध घोषित किया जाए और तदनुसार इसे इसके मौजूदा रूप में हटा देने की आवश्यकता है।

वर्ष 2008–09 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित अनुसंधान अध्ययन

1. "आंध्र प्रदेश में महिला सफाई कर्मचारियों" पर अध्ययन – नोबल सोशल एंड एजूकेशनल सोसाइटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम

हाथ से मैला उठाने वाले लोगों को अछूतों से भी निम्न कोटि का समझा जाता है किंतु वे किसी एक अछूत जाति से संबंधित नहीं हैं। अलग–अलग राज्यों में उन्हें अलग–अलग नामों से जाना जाता है, जैसकि 'हान', 'हाडी' (बंगाल), 'बाल्मीकि', 'धानुक' (उत्तर प्रदेश), 'मेतहर' (हैदराबाद), 'मेतहर', 'भंगी' (असम), 'पाकी' (तटीय आंध्र प्रदेश), 'थोटि' (तमिलनाडु) आदि। सफाई कर्मियों में यह आश्चर्य की बात है कि सभी राज्यों में महिला सफाई कर्मियों की संख्या आश्चर्यजनक रूप से काफी अधिक है।

हाथ से सफाई करने में झाड़ू, टिन की छोटी प्लेटों और टुकड़ियों का प्रयोग करके मानव और पशु के मल–मूत्र को उठाना और उसे सिर पर ढोना शामिल है। वर्षा ऋतु के दौरान उन टोकरियों में रखी सामग्री सफाई कर्मी के बालों, कपड़ों और उसके शरीर पर टपकती रहती है। इन महिला सफाई कर्मियों को घरों, कार्यालयों और समाज में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। समाज उन्हें अछूत जातियों से भी अधिक निम्न दृष्टि से देखता है। दस घंटे से भी अधिक समय तक कार्य करने के पश्चात उन्हें अपने सभी घरेलू कार्यों को भी निपटाना पड़ता है।

सिफारिशें :

सफाई कर्मियों के जीवन स्तर में सुधार के लिए सिफारिशें की गई तथा केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों को सुझाव दिए गए। ये निम्नवत हैं:

केंद्र सरकार :

- सरकारी संस्थाओं जैसेकि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इन सफाई कर्मियों को कुछ कल्याण और विकासपरक उपाय उपलब्ध कराए जाएं।
- उपर्युक्त सरकारी एजेंसियों द्वारा सफाई कर्मियों की शिकायतों का समाधान करने के लिए शिकायत समाधान प्रकोष्ठ गठित किया जाए।

राज्य सरकार :

- सफाई कर्मियों में उनके अधिकारों और उत्तरदायित्वों के संबंध में जागरूकता उत्पन्न की जाए। इसके साथ ही व्यावसायिक स्वास्थ्य संकटों और स्वच्छता के महत्त्व के संबंध में जागरूकता उत्पन्न की जाए।
- इन सफाई कर्मियों को गृह ऋण और उस पर राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी उपलब्ध कराई जाए।
- सफाई कर्मियों को शिक्षा, पेय जल, जल–मल की उपयुक्त निकासी की व्यवस्था से युक्त आवासीय

क्षेत्र., विद्युत, संचार सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएं।

- ❖ रोजगार के स्वरूप पर विचार किए बिना सभी सफाई कर्मचारियों को कपड़े, संरक्षी उपकरण, जूते, अन्य सामग्री, मातृत्व लाभ आदि उपलब्ध कराए जाएं।
- ❖ अस्थायी/ठेके पर काम कर रहे सफाई कर्मियों को स्थायी रोज़गार उपलब्ध कराया जाए।
- ❖ सफाई कर्मियों को ट्रेड यूनियनों के बारे में जागरूक बनाया जाए और उन्हें इन यूनियनों में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जाए।
- ❖ महिला सफाई कर्मचारी अधिकारियों और अपने सहकर्मियों के विरुद्ध शिकायतें करती हैं। इन दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए एक निकाय/प्रकोष्ठ गठित किया जाए।
- ❖ सफाई कर्मियों और उनके आश्रितों को वैकल्पिक रोज़गारों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए। उन्हें स्वयंसेवा समूहों (एस एच जी) में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
- ❖ सफाई कर्मियों के लिए अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया जाए।
- ❖ माता–पिता को अपने बच्चों को विद्यालयों में भेजने के लिए प्रेरित किया जाए।
- ❖ औपचारिक ऋण संस्थाएं सृजित की जाएं ताकि सफाई कर्मचारियों की साहूकारों पर निर्भरता कम हो सके।

स्थानीय निकाय :

- ❖ सफाई कर्मियों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जाए।
- ❖ यह सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की जाए कि सफाई कर्मियों को प्रत्येक माह समय पर वेतन का भुगतान कर दिया जाए।
- ❖ स्थानीय सरकारी निकायों और राज्य सरकारों को सफाई कर्मियों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए साथ मिलकर कार्य करना चाहिए।

राष्ट्रीय महिला आयोग यह सिफारिश करता है कि मौजूदा सभी शौचालयों के स्थान पर जल–आधारित शौचालय निर्मित किए जाएं ताकि हाथ से सफाई करने का कार्य पूरी तरह से समाप्त हो जाए।

2. "उड़ीसा में बढ़ते प्रवसन का महिलाओं पर प्रभाव" – संसृष्टि, भुवनेश्वर, उड़ीसा द्वारा आयोजित अध्ययन कार्यक्रम

प्रवसन की प्रक्रिया का अर्थ है लोगों के समूह का किसी एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चला जाना, जिसके कारण एक भिन्न स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके कारण प्रवसन करने वाले व्यक्तियों पर एक बाध्यकारी प्रभाव न केवल संरचनात्मक रूप में बल्कि सांस्कृतिक संदर्भों में भी उत्पन्न हो सकता है, जिसमें प्रतिकूल परिस्थिति में जीवन यापन करना, शोषण का शिकार होना तथा भावनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याओं का सामना करना भी शामिल है। महिला प्रवासियों की संख्या में निरंतर वृद्धि के बावजूद प्रवसन में पुरुषों की तुलना में महिलाओं को समान महत्त्व प्रदान नहीं किया जाता जबकि महिला प्रवासियों को आश्रित के रूप में देखा जाता है। हम प्रायः उनके व्यक्तिगत स्तर पर किए गए आर्थिक योगदान की अनदेखी कर देते हैं। गरीबी और रोज़गार की तलाश लोगों के प्रवसन का एक प्रमुख कारण रहा है। उड़ीसा की अर्थव्यवस्था कृषि–प्रधान है, जहां के अधिकांश कृषक छोटी जोत वाले हैं। मौसमी बेरोज़गारी, आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल न करना, आदि के कारण ग्रामीण लोग अपने जिले के भीतर और उसके बाहर और अन्य पड़ोसी राज्यों में भी शहरी क्षेत्रों में प्रवसन के लिए बाध्य होते हैं। तेजी से हो रहे औद्योगीकरण और वैश्वीकरण के कारण महिला प्रवासी श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हो रही है। उड़ीसा में महिलाओं और बच्चों के स्वैच्छिक और बाध्य होकर प्रवसन में चिंताजनक रूप से वृद्धि हो रही है।

सिफारिशें :

- ❖ बोलंगीर और नूआपाड़ा में प्रवसन की समस्या के समाधान हेतु राजनैतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है।
- ❖ जिन गांवों से प्रवसन हो रहा है, उनमें आजीविका के पोषणीय साधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- ❖ महिलाओं के लिए आय के पूरक साधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
- ❖ महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने और उनके सशक्तीकरण हेतु राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कठोर नीतियां तैयार की जाएं।
- ❖ प्रवसन, मानव दुर्व्यापार, श्रम कानूनों और रोज़गार गारंटी कार्यक्रम से संबंधित नीतियों को परस्पर–संबद्ध किया जाए।
- ❖ महिलाओं के अधिकारों और उन्हें न्याय उपलब्ध कराने की दिशा में लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए आधार स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक संरचनात्मक परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है।
- ❖ प्रवसन पर निगरानी रखने और उस पर रोक लगाने के लिए टास्क फोर्स गठित किया जाए।
- ❖ जिला श्रम कार्यालय में श्रमिक ठेकेदारों का पंजीकरण किया जाए।
- ❖ महिला प्रवासियों की शिकायतों के समाधान हेतु उनके द्वारा जिस राज्य/जिले में प्रवास किया गया है, उसमें कार्य कर रहे महिला संगठनों/ गैर–सरकारी संगठनों के बीच तालमेल होना चाहिए।

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा यह सिफारिश की जाती है कि सभी गांवों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना को प्रभावी रूप में क्रियान्वित किया जाए और ग्रामीण महिलाओं की क्षमता में वृद्धि की जाए तथा उनके द्वारा निर्मित उत्पादों के विपणन में सहायता उपलब्ध कराई जाए ताकि उन्हें प्रवसन की आवश्यकता उत्पन्न न हो।

3. "राजस्थान के भेड़पालन करने वाले समुदाय रेबारी (रायका समुदाय) में महिलाओं के विकास से संबंधित मुद्दों को समझना" – श्री आसरा विकास संस्था, उदयपुर, राजस्थान द्वारा आयोजित अध्ययन कार्यक्रम

राजस्थान में महिलाओं पर अत्याचार करना एक सामान्य घटना है। अभी भी वहां की महिलाओं को सरकारी स्कीमों, कानूनों, अधिकारों और उनके पक्ष में निर्मित अधिनियमों के लाभ की जानकारी नहीं है। जनजातीय समुदाय की महिलाओं की स्थिति और भी दयनीय है। राजस्थान में एक सर्वाधिक कठिनाई के दौर से गुजर रहा समुदाय रेबारी समुदाय है, जो अर्द्ध–घुमंतु प्रकृति का है। इस समुदाय की महिलाओं की स्थिति सर्वाधिक दयनीय है। जागरूकता के अभाव के कारण यह समूह बार–बार शोषण का शिकार होता रहा है।

सिफारिशें :

- ❖ रेबारी समुदाय का मुख्य कार्य पशुपालन है, अतः उन्हें अपने मवेशियों को वनों में या वन भूमि में चराने का अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए। चरागाह के लिए उन्हें भूमि उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
- ❖ रेबारी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में अधिसूचित करना आवश्यक है।
- ❖ रेबारी समुदाय द्वारा पशुपालन को एक संगठित क्षेत्र के रूप में मान्यता प्रदान किए जाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं।
- ❖ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और एन सी पी सी आर जैसी सरकारी एजेंसियों को बच्चों, विशेषकर

बालिकाओं के अधिकारों की रक्षा की दिशा में कार्य करना चाहिए।

- ❖ रेबारी समुदाय को अपनी बालिकाओं को विद्यालय भेजने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- ❖ रेबारी समुदाय की लड़कियों के क्षमता सृजन और उनमें ज्ञान सृजन हेतु प्रयास किए जाने चाहिए।

4. "एचआईवी ग्रस्त महिलाओं के मनोवैज्ञानिक–सामाजिक संदर्भ" – यूजीसी सेंटर फॉर वूमेन स्टडीज, उदयपुर, राजस्थान द्वारा आयोजित अध्ययन कार्यक्रम

एचआईवी जैसे विषाणु अपने आप बहुगुणित नहीं हो सकते, उन्हें अपनी संख्या वृद्धि करने के लिए सजीव प्राणियों की कोशिकाओं को संक्रमित करने की आवश्यकता होती है। मानव की प्रतिरक्षा प्रणाली प्रायः विषाणुओं की तलाश करके उसे शीघ्रतापूरक नष्ट कर देती है। एचआईवी के विषाणु सर्दी या जुकाम और फ्लू के विषाणुओं के समान संस्पर्श–जनित नहीं होते और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सामान्य सामाजिक संपर्कों के कारण संचारित नहीं हो सकते। यह विषाणु रेट्रोवायरस नामक विषाणु समूह का एक सदस्य है। रेट्रोवायरस साधारण सूक्ष्म जीव हैं, जो अपनी संख्या वृद्धि (प्रजनन) के लिए पोषी के शरीर पर निर्भर करते हैं। एचआईवी से ग्रसित कोई भी व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ प्रतीत हो सकता है और उसमें रोग का कोई भी शारीरिक लक्षण दृष्टिगोचर नहीं भी हो सकता है। प्रभावित व्यक्ति के शरीर में रोग गंभीर रूप लेने के साथ ही व्यक्ति अलग–अलग ढंग से रोग और शारीरिक लक्षण प्रदर्शित करने लगता है क्योंकि एचआईवी विषाणु संबंधित व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली को ही कमजोर बना देता है।

एचआईवी से ग्रसित व्यक्ति बाह्य उत्प्रेरकों के आधार पर सामान्य व्यक्ति की तुलना में अलग प्रकार से प्रक्रिया व्यक्त करने लगता है। इस रोग के कारण शारीरिक लक्षणों की शुरुआत होने के पश्चात आगे क्या होगा, इस संबंध में पर्याप्त चिंता बनी रहती है। अनुसंधानों से यह ज्ञात होता है कि यदि एचआईवी से संक्रमित महिलाओं के साथ सहानुभूतिपूर्ण और उपयुक्त संबंध बनाए रखा जाए तो उनमें आत्महत्या करने की प्रवृत्ति काफी कम हो सकती है।

सिफारिशें :

- ❖ जिस परिवार में कोई सदस्य एचआईवी ग्रसित हो, उसमें पारिवारिक वातावरण काफी विषादपूर्ण हो जाता है। अतः ऐसे परिवार में पारिवारिक माहौल बेहतर बनाने के लिए प्रभावी संपर्क और सामाजिक सहायता की आवश्यकता है।
- ❖ चूंकि एचआईवी से ग्रस्ति व्यक्ति में यौन संबंधों के प्रति एक अलग प्रकार की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है, अतः लैंगिक स्वास्थ्य के लिए चिकित्सीय एवं मनोवैज्ञानिक–सामाजिक परामर्श की आवश्यकता है।
- ❖ एचआईवी से ग्रसित महिलाओं के लिए व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए; इससे उनकी आत्मधारणा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।
- ❖ एचआईवी से ग्रसित महिलाएं आमतौर पर जोखिम उठाने के लिए तैयार रहती हैं। उन्हें सकारात्मक जोखिम उठाने के लिए मार्गदर्शन और परामर्श उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इससे उनके मनौवैज्ञानिक–शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायता प्राप्त होगी।
- ❖ मनौवैज्ञानिक–सामाजिक परिस्थितियों के दृष्टिगत काफी गंभीरतापूर्वक इस बात की सिफारिश की जाती है कि सरकारी एजेंसियां ग्रामीण और शहरी – दोनों क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम, सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित करें। समाज में चिकित्सकों, समाजशास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की टीम उपलब्ध कराई जाए, जो एचआईवी ग्रस्त व्यक्तियों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की दिशा में पूरे मन से कार्य करें।

- यौन संबंधों और सुदृढ़ पारिवारिक वातावरण के संबंध में एक भिन्न दृष्टिकोण अपनाकर एचआईवी ग्रस्त व्यक्तियों की संख्या में कमी लाई जा सकती है। सुदृढ़ और संतुलित व्यक्तित्व समाज को बेहतर भविष्य प्रदान करने की दिशा में नेतृत्व प्रदान कर सकता है।

राष्ट्रीय महिला आयोग इस बात की भी सिफारिश करता है कि अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में इंजेक्शन लगाने की एक सुरक्षित प्रणाली अपनाई जाए तथा साथ ही स्वास्थ्य केंद्र के कार्मिकों द्वारा स्थानीय स्तर पर एचआईवी से संबंधित मामलों में सूचना उपलब्ध कराई जाए। प्रशिक्षण और जागरूकता उत्पन्न करने से संबंधित कार्यक्रमों को अधिक व्यापक बनाया जाए।

5. महिला संसाधन अधिकार के बारे में कार्यसूची: "दिल्ली में संसाधिनी कार्यक्रम" के लिए एक मामला तैयार करना – साथी फॉर आल पार्टनरशिप, नई दिल्ली द्वारा आयोजित अध्ययन कार्यक्रम

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य दिल्ली के विभिन्न जिलों में महिलाओं और समुदायों की मौजूदा जरूरतों का पता लगाना तथा आवास, भूमि और संसाधन अधिकारों के संबंध में सामूहिक दृष्टिकोण के आधार पर समाधानों का सुझाव देना था। यह अध्ययन कार्यक्रम दिल्ली के बवाना, बनुवाल नगर, रोहिणी के सरस्वती विहार, आईटीओ के पीछे स्थित राजीव गांधी झोपड़ पट्टी और यमुना पुश्ता क्षेत्रों में आयोजित किया गया। इस अध्ययन के दौरान समुदाय, विशेषकर महिलाओं से उनके आस–पास के क्षेत्रों में ज़ोनों या संसाधिनी की स्थापना करने के लिए सामग्री, मार्ग, महत्त्वपूर्ण मुद्दों और प्रबंधन से संबंधित जानकारियों के संबंध में सूचना प्राप्त की गई।

सिफारिशें :

- ❖ सरकार और बाजार के एक दायित्व के रूप में महिला संसाधन अधिकारों को सुनिश्चित करने की एक नीति।
- ❖ महिलाओं के समूहों को एकल खिड़की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अनुदान के संबंध में सूचना और आवेदन की प्रणाली विकसित की जाए। यह प्रणाली राज्य महिला आयोग द्वारा शुरू किया गया एक क्रियाकलाप हो, जो महिलाओं के लिए संसाधन आधार में वृद्धि करने के विशिष्ट लक्ष्यों के दृष्टिगत कार्य करे, जिसका उद्देश्य पांच वर्षों की समाप्ति पर प्रत्येक जिले में पुरुष और महिला स्वामित्व के बीच समानता लाना हो।
- ❖ यदि कोई नवनिर्मित भवन उपलब्ध न हो तो पहले से निर्मित अवसंरचना को विकसित करने के लिए धनराशि आबंटित की जाए।
- ❖ ये पायलट परियोजनाएं भारत के आठ अलग–अलग राज्यों में चलाई जा रही अन्य दस परियोजनाओं से संबद्ध होंगी, जो एक प्रवसन मार्ग के रूप में दिल्ली से जुड़ेंगी।
- ❖ उपर्युक्त की प्राप्ति हेतु गैर–सरकारी संगठन 'साथी' द्वारा राष्ट्रीय योजना आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग में एक सिविल सोसाइटी विंडो स्थापित करने की मांग की जाती है, जो सरकार को लैंगिक समानता की दिशा में कार्य करने में सहायता प्रदान करेगी।

इस संबंध में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा यह सिफारिश की जाती है कि सभी परियोजनाओं में लैंगिक समानता की स्थिति की जांच की जाए। इसके लिए राष्ट्रीय महिला आयोग को नोडल एजेंसी बनाया जाए।

6. "पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत महिला लघु उद्यमों का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव" – एलआईएसएस इंडिया, कोठामंगलम, केरल द्वारा आयोजित अध्ययन कार्यक्रम

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य केरल में महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में महिला लघु उद्यमों की व्यवहार्यता की जांच करना तथा महिला लघु उद्यमों द्वारा झेली जा रही

विभिन्न समस्याओं की पहचान करना था। इस अध्ययन द्वारा सरकार को कुछ सुझावों की भी सिफारिश की गई। इस अध्ययन कार्यक्रम में 30 वित्तपोषक एजेंसियों, 90 एकल लघु उद्यमों और 330 सामूहिक उद्यमों को कवर किया गया।

सिफारिशें :

केंद्र सरकार :

- ❖ उद्यम के सफलतापूर्वक और निर्बाध कार्यकरण हेतु आसान और सस्ती दरों पर आर्थिक सहायता सुनिश्चित की जाए। सरकार द्वारा इस संबंध में उचित उपाय किए जाएं।
- ❖ उद्यमों को विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहनों और अन्य सहायक व्यवस्थाओं के माध्यम से निर्यात हेतु उपयुक्त गुणवत्तायुक्त उत्पादों के उत्पादन हेतु प्रोत्साहित किया जाए।
- ❖ सरकार द्वारा विभिन्न उपायों को करके लघु उद्यमों की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा से रक्षा की जाए।
- ❖ महिला लघु उद्यमों द्वारा उत्पादित उत्पादों की खपत के संबंध में सरकार द्वारा सार्वजनिक प्रचार माध्यमों का प्रयोग करके प्रचार–प्रसार किया जाए।
- ❖ सफल महिला लघु उद्यमों को मान्यता प्रदान करके और उन्हें पुरस्कृत करके सम्मानित किया जाए।
- ❖ इन उद्यमों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर एक्सपोज़र कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।
- ❖ सरकार द्वारा सड़क, विद्युत, जल आपूर्ति, भंडारण सुविधाओं आदि जैसी सभी अवसंरचनाएं उपलब्ध कराकर महिला औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया जाए।

राज्य सरकार :

- ❖ भावी उद्यमियों को उपयुक्त एजेंसियों/प्राधिकरणों द्वारा नवीनतम प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराई जाए।
- ❖ उद्यमों के सफल और निर्बाध कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए आसान और सस्ती दरों पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। सरकार द्वारा इस संबंध में उचित कार्रवाई की जाए।
- ❖ अनेक उद्यम केवल इस कारण विफल हो गए हैं कि उन्हें अपने उत्पादों के लिए उपयुक्त बाजार नहीं मिल पाया। अतः किसी भी उद्यम को आरंभ करने से पहले, बाज़ार का एक व्यापक सर्वेक्षण किया जाए तथा उद्यमियों को विपणन कौशल विषय पर गहन प्रशिक्षण दिया जाए।
- ❖ सरकार द्वारा ब्लॉक/ जिला स्तर पर महिला लघु उद्यमों का एक शीर्ष निकाय स्थापित किया जाए, जो यूनिटों द्वारा निर्मित उत्पादों की खरीद करके उन्हें अपने विक्रय केंद्रों के जरिए बेचे।
- ❖ प्राधिकरणों द्वारा जिला स्तर पर केंद्रीकृत बाजार स्थापित किया जाए, जहां उद्यमों द्वारा अपने उत्पादों को प्रदर्शित किया जाए और उन्हें ग्राहकों को सीधे बेचा जाए।
- ❖ त्योहार के मौसम के दौरान इन उत्पादों के लिए विशाल मेलों का आयोजन किया जाए, जहां आकर्षक छूट देकर इन उत्पादों की बड़े पैमाने पर बिक्री की जा सके।
- ❖ व्यावसायिकों की सहायता लेकर उद्यमियों के लिए नियमित रूप से कार्यशाला/ सेमिनारों का आयोजन करके उनमें गुणवत्ता के संबंध में जागरूकता सृजित की जाए। एक शीर्ष निकाय उत्पाद का एक सामान्य ब्रांड नाम के अंतर्गत विपणन कर सकता है।
- ❖ शीर्ष निकाय द्वारा प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा इन उद्यमियों में कौशल के विकास के लिए नियमित कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए।
- ❖ उद्यमियों को विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन उपलब्ध कराकर और अन्य सहायक व्यवस्थाओं के माध्यम से

निर्यात हेतु उपयुक्त गुणवत्तापूर्ण उत्पादों का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

- सरकार विभिन्न उपायों को करके लघु उद्यमों की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा से रक्षा कर सकती है।
- महिला लघु उद्यमों द्वारा उत्पादित उत्पादों की खपत के संबंध में सरकार द्वारा सार्वजनिक प्रचार माध्यमों का प्रयोग करके प्रचार–प्रसार किया जाए।
- सफल महिला लघु उद्यमों को मान्यता प्रदान करके और उन्हें पुरस्कृत करके सम्मानित किया जाए और इन उद्यमों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर प्रचार कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।
- इन लघु यूनिटों के लाभ हेतु स्थानीय निकायों, सरकारी विभागों और वित्तपोषक एजेंसियों का प्रतिनिधित्व करने वाली मानीटरिंग एजेंसी की स्थापित की जाए।
- मानीटरन समिति के साथ–साथ, कठिनाई में कार्य कर रहे उद्यमों की सहायता के लिए एक संकट प्रबंधन समिति गठित की जाए और उद्यमों को इन समितियों की विशेषज्ञता का बिना किसी हिचक के लाभ उठाने की सलाह दी जाए।
- उद्यमों को किसी सरकारी और गैर–सरकारी एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली विभिन्न प्रकार की विशेषज्ञ सेवाओं जैसेकि परियोजना अभिनिर्धारण, परियोजना सृजन, विभिन्न सरकारी स्कीमों, वित्तीय सहायता, निर्यात प्रोत्साहनों आदि के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराई जाए।
- प्राधिकरणों द्वारा महिला लघु उद्यमों के लाभ हेतु एक शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित किया जाए।
- विभिन्न प्रकार की औपचारिकताओं और प्रक्रियाओं तथा उसमें अंतर्निहित लालफीताशाही के कारण सामने आने वाली बाधाओं का सामना करने के लिए नए उद्यमियों के लिए एकल खिड़की समाधान व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए।
- सरकार द्वारा सड़क, विद्युत, जल आपूर्ति, भंडारण सुविधाओं आदि जैसी सभी अवसंरचनाएं उपलब्ध कराकर महिला औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जाएं।

स्थानीय निकाय :

- अनेक महिला सूक्ष्म उद्यमों के बाद में चलकर विफल होने का कारण यह रहा कि परियोजना का अभिनिर्धारण उपयुक्त रूप में नहीं किया गया था, जिसके कारण संबंधित यूनिट व्यवहार्य नहीं रही। अतः यह सुनिश्चित किया जाए कि भावी महिला उद्यमियों को उपयुक्त परियोजनाओं के अभिनिर्धारण के लिए उचित मार्गदर्शन और प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।
- नए उद्यमियों को ऐसी यूनिटें शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए जिनमें स्थानीय कच्ची सामग्रियों का उपयोग हो, जो कम कीमत पर आसानी से उपलब्ध होती हैं।
- भावी उद्यमियों को उपयुक्त एजेंसियों/ प्राधिकरणों द्वारा नवीनतम प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराई जाए।
- अनेक उद्यम केवल इस कारण विफल हो गए हैं कि उन्हें अपने उत्पादों के लिए उपयुक्त बाजार नहीं मिल पाया। अतः किसी भी उद्यम को आरंभ करने से पहले, बाज़ार का एक व्यापक सर्वेक्षण किया जाए तथा उद्यमियों को विपणन कौशल विषय पर गहन प्रशिक्षण दिया जाए।
- प्राधिकरणों द्वारा जिला स्तर पर केंद्रीकृत बाजार स्थापित किया जाए, जहां उद्यमों द्वारा अपने उत्पादों को प्रदर्शित किया जाए और उन्हें ग्राहकों को सीधे बेचा जाए।

- ❖ त्योहार के मौसम के दौरान इन उत्पादों के लिए विशाल मेलों का आयोजन किया जाए।
- ❖ व्यावसायिकों की सहायता लेकर उद्यमियों के लिए नियमित रूप से कार्यशाला/ सेमिनारों का आयोजन करके उनमें गुणवत्ता के संबंध में जागरूकता सृजित की जाए।
- ❖ शीर्ष निकाय द्वारा एक जैसी यूनिटों के उत्पादों की समान गुणवत्ता सुनिश्चित करके एक सामान्य ब्रांड नाम के अंतर्गत उन उत्पादों का विपणन किया जा सकता है।
- ❖ शीर्ष निकाय द्वारा प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा इन उद्यमियों में कौशल के विकास के लिए नियमित कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए।
- ❖ महिला समूहों के अनेक लघु यूनिट समूह के सदस्यों के बीच मतैक्यता न होने के कारण विफल हो जाते हैं, जिसका मुख्य कारण यह होता है कि इन समूहों का गठन केवल एक लघु यूनिट स्थापित करने के लिए किया जाता है क्योंकि उन्हें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्राधिकारियों द्वारा अनेक प्रकार के प्रोत्साहनों की पेशकश की जाती है। अतः केवल ऐसी महिला समूहों को ही सामूहिक लघु यूनिट स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, जिनका विगत रिकार्ड सही हो।
- ❖ सफल महिला लघु उद्यमों को मान्यता प्रदान करके और उन्हें पुरस्कृत करके सम्मानित किया जाए।
- ❖ सफल महिला उद्यमों के साथ परस्पर संपर्क के अवसरों को प्रोत्साहित किया जाए।
- ❖ इन लघु यूनिटों के लाभ हेतु स्थानीय निकायों, सरकारी विभागों और वित्तपोषक एजेंसियों का प्रतिनिधित्व करने वाली मानीटरिंग एजेंसी स्थापित की जाए। मानीटरन समिति के साथ–साथ, कठिनाई में कार्य कर रहे उद्यमों की सहायता के लिए एक संकट प्रबंधन समिति गठित की जाए और उद्यमों को इन समितियों की विशेषज्ञता का बिना किसी हिचक के लाभ उठाने की सलाह दी जाए।
- ❖ उद्यमों को किसी सरकारी और गैर–सरकारी एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली विभिन्न प्रकार की विशेषज्ञ सेवाओं जैसेकि परियोजना अभिनिर्धारण, परियोजना सृजन, विभिन्न सरकारी स्कीमों, वित्तीय सहायता, निर्यात प्रोत्साहनों आदि के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराई जाए।
- ❖ प्राधिकरणों द्वारा महिला लघु उद्यमों के लाभ हेतु एक शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित किया जाए।
- ❖ विभिन्न प्रकार की औपचारिकताओं और प्रक्रियाओं तथा उसमें अंतर्निहित लालफीताशाही के कारण सामने आने वाली बाधाओं का सामना करने के लिए नए उद्यमियों के लिए एकल खिड़की समाधान व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए।